

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० पंचकूला

HRDC/HRPRA/2023/36

क्रमांक/पीआरए/2023/3718-26
दिनांक:- 31-3-23

ई.मेल माध्यम से

प्रबन्धक,
एचएलआरडीसी,
रेवाड़ी

विषय:- वर्ष 2023-24 में दुलहेड़ा कलां, जिला रेवाड़ी फार्म पर अनुबन्ध आधार पर कन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बीज उत्पादन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत लिखा जाता है कि दुलहेड़ा कलां, जिला रेवाड़ी की 23 एकड़ 1 कनाल 12 मरला भूमि को वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.05.2023 से 30.04.2024 तक के लिये Tender No. HLRDC/PRA/2023/36 की दिनांक 27.03.2023 को खोली गई ई-निविदा (वित्तीय बीड) में आरक्षित मूल्य से अधिक रेट होने के आधार पर Sh. Sher Singh S/o Sh. Chotu Ram, Village Jhabuwa, Distt. Rewari को 6,01,275/- (छ: लाख एक हजार दो सौ पचहतर रू० केवल) में देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको उक्त किसान के साथ ई-निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए आपको अधीकृत किया गया है। अतः आप सलग्न की गई नियम एवं शर्तों की पालना करवाते हुये उक्त किसान से दुलहेड़ा कलां, जिला रेवाड़ी की लीजमनी की पूर्ण राशि निर्धारित समय सीमा में निगम के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त किसान के साथ शीघ्र अतिशीघ्र अनुबन्ध करते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलग्न: नियम एवं शर्तों की प्रति

Jamly
वरिष्ठ लेखा अधिकारी 31.3.23
कृते: प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि:-
पंजीकृत

DESPATCHED

R.H.
31/3/23
Despatcher

- उपरोक्त की एक प्रति Sh. Sher Singh S/o Sh. Chotu Ram, Village Jhabuwa, Distt. Rewari को भेजते हुए लिखा जाता है कि उपरोक्त टेंडर खोलने उपरान्त आरक्षित मूल्य से अधिक रेट होने आधार पर दुलहेड़ा कलां, जिला रेवाड़ी आपको वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.05.2023 से 30.04.2024 तक के लिये अनुबन्ध आधार पर कन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बीज उत्पादन करवाने हेतु अलॉट किया जाता है। अतः आपको लिखा जाता है कि आप नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रबन्धक, एचएलआरडीसी, रेवाड़ी के साथ शीघ्र अतिशीघ्र अनुबन्ध करें तथा उनके कार्यालय में नियमानुसार लीजमनी की पूर्ण राशि समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि आपको इस फार्म पर आगामी कार्यवाही करने की अनुमति दी जा सके।
- लेखा शाखा, एचएलआरडीसी, मुख्यालय को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।